



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.02.23

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट का वांछित एवं 25000 रूपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार

दिनांक 04.02.2023 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर 25000 रूपये का इनामी बदमाश लालजी पुत्र स्व0 राम बहादुर को गिरफ्तार किया गया है। जो गैंगेस्टर एक्ट में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में वांछित चल रहा था।

नाम पता अभियुक्त -

लालजी पुत्र स्व0 राम बहादुर उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम नरी पोस्ट सडवा चंडिका थाना अन्तू जिला प्रतापगढ

आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त के विरुद्ध 01 मुकदमा अवैध शराब परिवहन व 01 मुकदमा गैंगेस्टर एक्ट का थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत है तथा अभियुक्त गैंगेस्टर अभियोग में 25000 का इनामी अभियुक्त है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र मे यातायात पुलिसकर्मी को जान से मारने की नीयत से कार से टक्कर मारकर घायल करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 03.02.2023 को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत शिप्रा कट के पास यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए ड्यूटी कर रहे मुख्य आरक्षी अंकित द्वारा एक कार टाटा अल्टरोज HR-42-H-1855 को चैकिंग के लिए रुकने का इशारा करते हुए रोकने की कोशिश की गई तो कार चालक द्वारा मुख्य आरक्षी अंकित को जान से मारने की नीयत से टक्कर मार दी गई जिससे मुख्य आरक्षी अंकित गंभीर रूप से घायल हो गये।

मुख्य आरक्षी अंकित की तहरीर पर थाना इन्दिरापुरम पर जान से मारने की नीयत से हमला करना तथा कार्य सरकार मे बाधा डालने के सम्बन्ध मे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया।

दिनांक 03.02.23 को ही उक्त गाडी के चालक अभि त्यागी पुत्र अशोक त्यागी निवासी 172 मकनपुर थाना इंदिरापुरम गा0बाद व गाडी मे सवार साथी युवक अक्षित त्यागी पुत्र दीपक त्यागी निवासी 286 गन्नोर गढीकेसरी थाना गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा को आम्रपाली के पास से गिरफ्तार किया गया तथा घटना मे प्रयुक्त कार टाटा अल्टरोज को कब्जे पुलिस मे लिया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्तगण के नाम पता-

- 1.अभि त्यागी पुत्र अशोक त्यागी निवासी 172 मकनपुर थाना इंदिरापुरम गा0बाद ।
- 2.अक्षित त्यागी पुत्र दीपक त्यागी निवासी 286 गन्नोर गढीकेसरी थाना गन्नौर जिला सोनीपत हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

घटना मे प्रयुक्त कार टाटा अल्टरोज

गिरफ्तार करने वाली टीम-

यातायात पुलिस टीम व थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम द्वारा तस्करी कर लायी जा रही लगभग दो करोड रूपये की 10 किलोग्राम चरस (नाजायज) के साथ 02 अन्तर्राज्यीय महिला तस्कर गिरफ्तार

दिनांक-03.02.2023 को क्राइम ब्रान्च कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना मसूरी क्षेत्र मे मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली दो महिला तस्करो को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 10 किलोग्राम नाजायज चरस बरामद हुई है। यह चरस इन अन्तर्राज्यीय महिला तस्करो द्वारा बिहार से तस्करी कर लायी जा रही थी। बरामद चरस की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे करीब 2,00,00,000 रूपये (दो करोड रूपये) है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर दोनो महिलाओ ने बताया कि हम दोनो यह माल बिहार से मनोज उर्फ सुमित नाम के एक व्यक्ति से लेकर आते है । जो माल नेपाल से लेकर आता है मनोज हर बार अलग-अलग जगहों पर बुलाकर हमें यह माल तस्करी के लिए देता है, हमें हर बार माल की तस्करी के 20-20 हजार रूपये मनोज से मिलते है। एन.सी.आर. क्षेत्र दिल्ली, गाजियाबाद व सहारनपुर मे माल को बिकवाने व पार्टी तलाशने में हमारी मदद वासिर अली उर्फ कौशर निवासी सहारनपुर करता है जो आज मौके से भाग गया है, नाजायज मादक पदार्थों की तस्करी के बाद जो पैसा हमे माल पहुँचाने का मिलता है उसी से हम अपने परिवार का खर्चा चलाते है। तस्करी का यह काम हम मनोज उर्फ सुमित के कहने पर करीब 1 वर्ष से कर रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- 1.गीता उर्फ चन्द्रावती पत्नी किशोरी निवासी सुघौली सिनेरिया थाना मंझालिया चंपारन बिहार
- 2.ज्योति उर्फ मालती पत्नी गारध निवासी उपरोक्त

बरामदगी का विवरण-

10 किलोग्राम चरस नाजायज

आपराधिक इतिहास-

दोनों महिला अभियुक्तों पर 01 एनडीपीस एक्ट का अभियोग पंजीकृत है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.क्राईम ब्रान्च कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम
- 2.थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम